17-4-25 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति पृथक से वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी —श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/43	16.10.2024	136 LR Act	17.04.2025

उनवान

1:—रूमन पुत्री स्व0श्री बलविन्दर सिंह जाति आर्यजाट उम्र 21 साल निवासी किथूर तहसील व जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

2:—राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन वादीनी कानून में आस्था व विश्वास रखने वाली युवती है मिन वादीनी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 19 रकबा 0.21 है., 21 रकबा 0.10 है., 22 रकबा 0.31 है., 23 रकबा 0.05 है., 26 रकबा 0.64 है., 5 रकबा 0.25 है., 6 रकबा 0.02 है कुल किता 7 रकबा 1.58 है. में हिस्सा 1/270 वाके ग्राम किथूर, आराजी खसरा नं. 25 रकबा 0.38 है. में हिस्सा 13/4050 वाके ग्राम किथूर, आराजी खसरा नं. 1105 रकबा 0.07 है., 1106 रकबा 0.07 है., 1107 रकबा 0.07 है., 1108 रकबा 0.10 है., 1109 रकबा 0.05 है., 1110 रकबा 0.12 है., 1111 रकबा 0.08 है., 1112 रकबा 0.08 है., 1113 रकबा 0.07 है., 1114 रकबा 0.11 है., 1116 रकबा 0.21 है., 1117 रकबा 0.23 है., 1118 रकबा 0.23 है., 1119 रकबा 0.23 है., 1120 रकबा 0.33 है. कुल किता 15 रकबा 2.05 है. में हिस्सा 11/4580 वाके ग्राम किथूर आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 0.09 है., 1123 रकबा 0.08 है., 1124 रकबा 0.09 है., 1125 रकबा 0.07 है., 1126 रकबा 0.07 है. कुल किता 6 रकबा 0.50 है. में हिस्सा 1/1395 वाके ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर (राज०) पर स्थित है जो कि वर्तमान वाद में विवादित है जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। समर्थन में हाल जमाबंदी सम्वत् 2071—2074 संलग्न की जा रही है

उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादीनी के पिता बलविन्दर सिंह पुत्र श्री चमनलाल की खातेदारी काश्तकारी की आराजी भूमि थी मिन वादीनी के पिता बलविन्दर सिंह का देहान्त दिनांक 19.5.2012 को होने के उपरान्त उक्त आराजी भूमि बाबत उनका इंतकाल दिनांक 08.2.2013 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ, जिसमें मिन वादीनी का नाम बहैसियत पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वारिस दर्ज किया गया परन्तु सहवन से मिन वादीनी का नाम रूमन के स्थान पर रोमन दर्ज हो गया

वादीनी का वास्तविक व सही नाम रूमन है, जो कि मिन वादीनी के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात आदि में दर्ज है, जिनकी प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है।

राजस्व रिकार्ड में पिता बलविन्दर सिंह की मृत्यु उपरान्त विरासत इंतकाल के राजस्व रिकार्ड में सहवन व भूलवश परिवार वालों के द्वारा मिन वादीनी जो तत्समय नाबालिग थी का नाम रूमन के स्थान पर रोमन करा दिया, जिससे मिन वादीनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए मिन वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में रोमन के स्थान पर रूमन दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक व जरूरी है जिस हेतु यह वाद पत्र नेकनियति से न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

मिन वादीनी विवादित आराजीयात पर अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त बतौर खातेदार है और मौके पर कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है, फसल बो, काट व समेट रही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गलत दर्ज होने के कारण मिन वादीनी को व्यावहारिक रूप में बेजा परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिस कारण से मिन, वादीनी अपने नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने की अधिकारिनी है जिस हेतु दावा हाजा पेश किया जा रहा है

वादीनी के द्वारा प्रतिवादी के समक्ष कई मर्तबा उपस्थित होकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में स्वंय का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर हमेशा ही टाल बाल की जाती रही है। परन्तु दिनांक 16.8.2024 को लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब अलवर के द्वारा वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पहले श्रीमान न्यायालय से आदेश लाओ जिस पर बिना किसी देरी के यह दावा हाजा पेश किया जा रहा है

प्रतिवादी के रूप में तहसीलदार महोदय अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर पक्षकार दर्ज किये गये है जो कि भूमिधारक होने के कारण आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार मुकदमा है जिनके विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व नोटिस धारा 80 जा.दी. दिया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। परन्तु हस्तगत प्रकरण आवश्यक नेचर का होने के कारण बिला नोटिस ही वाद दायर करना लाजिमी आया है। अलग से वास्ते इजाजत प्रार्थना पत्र पेश है।

अन्य सहखातेदारों से कोई विवाद नहीं है जिस कारण से उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। मात्र मिन वादीनी के नाम को सही करने का विवाद है जिस कारण से भी सह खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है विवादित आराजी भूमि वाके ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर में स्थित है जिससे दावा न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अखण्ड अधिकारी
अलवर

दावा हाजा के लिए विनायदावी व विनायमुखास्मत दिनांक 16.8.2024 को उस समय उत्पन्न हुई कि जब लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर ने वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने से इंकार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत कहा जिससे दावा साधारणतया अन्दर म्याद पेश है।

दावा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि –
डिक्री इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादीनी इस अमर की पारित कि जावे कि वादीनी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नं. 19 रकबा 0.21 है., 21 रकबा 0.10 है., 22 रकबा 0.31 है., 23 रकबा 0.05 है., 26 रकबा 0.64 है., 5 रकबा 0.25 है., 6 रकबा 0.02 है. कुल किता 7 रकबा 1.58 है. में हिस्सा 1/270 वाके ग्राम किथूर, आराजी खसरा नं. 25 रकबा 0.38 है. में हिस्सा 13/4050 वाके ग्राम किथूर, आराजी खसरा नं. 1105 रकबा 0.07 है., 1106 रकबा 0.07 है., 1107 रकबा 0.07 है., 1108 रकबा 0.10 है., 1109 रकबा 0.05 है., 1110 रकबा 0.12 है., 1111 रकबा 0.08 है., 1112 रकबा 0.08 है., 1113 रकबा 0.07 है., 1114 रकबा 0.11 है., 1116 रकबा 0.21 है., 1117 रकबा 0.23 है., 1118 रकबा 0.23 है., 1119 रकबा 0.23 है., 1120 रकबा 0.33 है. कुल किता 15 रकबा 2.05 है. में हिस्सा 11/4580 वाके ग्राम किथूर, आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 0.09 है., 1123 रकबा 0.08 है., 1124 रकबा 0.09 है., 1125 रकबा 0.07 है., 1126 रकबा 0.07 है. कुल किता 6 रकबा 0.50 है. में हिस्सा 1/1395 वाके ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर (राज०) के राजस्व रिकार्ड में जो वादीनी का नाम रूमन के स्थान पर रोमन दर्ज हो रहा है, को दुरूस्त किया जाकर वादीनी का नाम रूमन दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर न्यायालय किया जाकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक भू0अ0/2025/145 दिनॅाक 08–01–2025 के अनुसार मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन के खाता नम्बर 207, 208, 441 वाके ग्राम किथूर मे रोमन पुत्री बलविन्दर सिंह जाति आर्य जाट सा0 देह गैर खातेदार/खातेदार दर्ज रिकार्ड है जर्ये नामान्तकरण स0 930 विरासत दिनॅाक 08–02–2013 बलविन्दर सिंह पिता फोत के बजाय रोमन पुत्री बलविन्दर सिंह जाति आर्यजाट सा0 देह गैरखातेदार/खातेदार राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ है जो वर्तमान मे चला आ रहा है कोई राजस्व त्रृटि नही हुई है मौके पर मजमे आम जर्ये घटना बही मे जॉच की गई मौजूद ग्रामवासियान/मौतबिरान ने अबगत कराया कि रूमन एंव रोमन एक ही लडकी का नाम है।

जमाबन्दी हाल सेलीग्रीग्रेशन उक्त खातो मे स्थित खसरा नम्बरो मे दर्ज रोमन पुत्री बलविन्दर सिंह को वादीनी जर्ये अंक तालिका (कक्षा'10) आधारकार्ड स0 5976 7146 3418 से रूमन पुत्री बलविन्दरसिंह जाति आर्यजाट राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त का अनुतोष चाहा गया हैं। अतः मुताबिक जॉच रिपोर्ट के नामान्तकरण स0 930 विरासत दिनॅाक 08–2–2013 को स्वीकृत मे रोमन पुत्री बलविन्दरसिंह है जो वर्तमान मे चला आ रहा है कोई राजस्व त्रृटि नही हुई है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थिनी जर्ये अंकतालिका (कक्षा—10), आधारकार्ड स0 5976 7146 3418 से रूमन पुत्री बलविन्दर जाति आर्यजाट राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त का अनुतोष चाहा गया है।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू—प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूस्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा—7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण स0 930 (विरासत) दिनॉक 08—2—2013 को स्वीकृत हुआ है जिसके अनुसार रोमन पुत्री बलविन्दरसिंह है जो वर्तमान मे चला आ रहा है कोई राजस्व त्रृटि नही हुई है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का विरासत नामान्तकरण अनुसार अंकन सही एंव सत्य है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड स0 5976 7146 3418 एंव कक्षा दसवी के अंकतालिका की प्रति के आधार पर राजस्व अभिलेखो मे नाम मे परिवर्तन चाहा गया जिसके आधार पर प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 17-4-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर